सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 16/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00005

अनवान

1. श्री हीरालाल पिता कमजी, निवासी खेरवाडा, जिला उदयपुर।
2. श्री शान्तिलाल पिता हुरमा मीणा, निवासी खेरवाडा, जिला उदयपुर।
3. श्री लक्ष्मण पिता धूला मीणा, निवासी खेरवाडा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजेश पिता थावरचन्द डांगी, निवासी खेरवाडा छावनी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर
2. उपजिलाधीश खेरवाडा, जिला उदयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाडा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री आशीष दोवडीया, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 05-09-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण खेरवाडा के स्थायी निवासी होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 1 को जरिये पत्रावली संख्या 48/2002 से दिनांक 12.06.2002 को राजस्व ग्राम खेरवाडा खालसा की आराजी संख्या 484 रकबा 0.5000 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गयी। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त आवंटन मिलीभगत कर कराया है। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नही है एवं न ही खेरवाडा का स्थानीय निवासी है। आवंटी को इसी गांव के खसरा संख्या 476 से 480 का भी आवंटन किया गया है। जो भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गयी है, वह काश्त योग्य भूमि नही है एवं चारागाह भूमि होकर देखने मात्र से स्पष्ट है। विपक्षी संख्या 1 को कथित आवंटन से पूर्व प्रकरण ग्राम पंचायत के समक्ष भी नही रखा गया है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार होकर स्थानीय निवासी है। खेरवाडा गांव में ही खेरवाडा छावनी आता है। इस प्रकार दोनों गांवों को पृथक–पृथक नही माना जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन पूर्णतया नियमानुकुल है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज होने एवं विपक्षी संख्या 1 का कब्जा काश्त होने से उसे आवंटित की गयी है। भूमि की किस्म चारागाह नही है। विपक्षी संख्या 1 को कथित आवंटन पूर्णतया नियमानुसार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार खेरवाडा, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार खेरवाडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2016/643 दिनांक 10.08.2016 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि राजस्व ग्राम खेरवाडा खालसा, तहसील खेरवाडा की आराजी संख्या 484 में से विपक्षी संख्या 1 को आवंटित आराजी संख्या 2049/484 रकबा 0.5000 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में श्री राजेश पिता थावरचन्द डांगी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी द्वारा मौके पर उक्त भूमि आवंटन से पूर्व पडत होकर चारागाह होना जाहिर किया है। मौके पर गत वर्ष हकत किया जाना प्रदर्शित होता है एवं वर्तमान में भूमि पडत होकर चारा है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले में उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 48/2002 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रकरण में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचन को ही बहस माना जाने बाबत् अनुरोध किया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए नियमानुसार आवंटन होना, विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन काश्तकार होना, स्थानीय निवासी होना, भूमि की किस्म वक्त आवंटन बिलानाम होना, आवंटी का कब्जा होना, भूमि चारागाह न होना, आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने की मांग की।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटी श्री राजेश पिता थावरचन्द डांगी द्वारा मौजा खेरवाडा खालसा, तहसील खेरवाडा की साबिक आराजी संख्या 484 भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी

संख्या 1 को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर उनका पुराना कब्जा होना अवश्य बताया है, किन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज उनके द्वारा पेश नही किया गया है। यदि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होता तो उनके पास अन्तर्गत धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नोटिस मौजूद होते। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने में असफल रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि वक्त आवंटन चारागाह होना बताया है किन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज के प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है एवं न ही राजस्व रेकर्ड में इसकी किस्म चारागाह अंकित है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट में भी पटवारी हल्का द्वारा वक्त आंवटन भूमि काबिल काश्त, उद्घोषणा जारी होना, विवाद रहित होना बताया है एवं आवंटी को सद्भावी कृषक बताया है। ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो। इस प्रकार आवंटन बहाल रखे जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा खेरवाडा खालसा तहसील खेरवाडा की आराजी संख्या 484 रकबा 0.5000 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जरिये मिसल संख्या 48/2002 से दिनांक 12.06.2002 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर